मातुलेय
(Avunculate)

'एवकुलेट' (avunculate) या मातुलेय शब्द उस प्रथा की ओर निर्देश करता है जो कि मामा-भानजे या भानजी के पारस्परिक सम्बन्धो को एक विशिष्ट ढग से नियमित करता है। इसका प्रचलन उन मातृसत्तात्मक परिवारो मे होता है जहाँ कि माता के भाई (मामा या मातुल) का पारिवारिक मामले मे अत्यधिक महत्त्व और नियन्त्रण होता है। यदि पारिवारिक मामले मे मामा का अधिकार और नियन्त्रण प्रमुख है, यदि लोगो से यह माग की जाती है कि वे अपने पिता से भी अधिक सम्मान मामा का करे, यदि मामा का भी अपने भानजे-भानजियो के प्रति उनके पिता से कही अधिक उत्तरदायित्व तथा कर्त्तव्य है, यदि मामा अपनी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी भानजे को ही बनाये और यदि भानजा भी पिता की अपेक्षा मामा की सेवा अधिक करे—अर्थात् अन्य सभी पुरुष सदस्यो मे मामा का स्थान या स्थिति सर्वोपरि हो तो इस व्यवस्था या प्रथा को मातुलेय कहते हैं।

उत्तरी-पश्चिमी अमेरिका की हैडा जनजाति मे यह प्रथा है कि दस वर्ष की आयु मे पुत्र पिता का घर छोडकर अपने मामा के यहाँ रहने के लिये चला जाता है, वही पर रहकर वह मामा के परिवार और समाज की बातो को सीखता है, मामा की सेवा करता है और बडे होने पर मामा की सम्पत्ति की देख-रेख करता है। मामा भी उसके समस्त भार को सहर्ष अपने ऊपर ले लेता है। मामा के गोत्र, जादू, धर्म तथा सम्पत्ति पर भानजे का ही अधिकार होता है। ट्रोब्रियड (Trobriand) जनजातियो मे भी ठीक इसी प्रकार से होता है। होपी तथा जूनी जनजातियो मे पुत्र तब तक अपने पिता के घर मे रहता है जब तक उसकी विवाह की आयु न आ जाये। इस आयु मे वह अपने मामा के घर चला जाता है और मामा उसका विवाह-सस्कार करवा के अपने परिवार के सदस्य के रूप मे स्वीकार कर लेता है।

मातुलेय प्रथा प्रत्येक समाज मे शान्तिपूर्वक ढग से स्वीकार नही की जाती है। उदाहरणार्थ, ट्रोब्रियड प्रायद्वीप के निवासियो मे पिता के स्नेह तथा मातुलेय कर्त्तव्य के बीच प्राय सघर्ष उत्पन्न हो जाता है। हो सकता है कि पिता को अपने लडके से इतना प्यार हो जाय कि वह अपनी सम्पत्ति को भानजे को देने के बजाय अपने ही लडके को देना अधिक पसन्द करे। उस अवस्था मे भानजे तथा मामा के बीच एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

यह सच है कि मातुलेय प्रथा मातृसत्तात्मक समाजो की एक विशेषता है, परन्तु इसका यह अर्थ कदापि नही है कि पितृसत्तात्मक समाज मे इसका बिलकुल ही प्रचलन नही है। दक्षिणी अफ्रीका की थोगा (Thonga) जनजाति पितृवशीय है। यहाँ पत्नी को विवाह के पश्चात् अपने पति के गाँव या घर मे जाकर रहना पडता है और बच्चो पर भी पिता के परिवार का अधिकार होता है। फिर भी मामा का घर बच्चो के लिये 'द्वितीयक शरण स्थान' (secondary haven) होता है। कोमांचे जनजाति मे भी, जो कि पितृसत्तात्मक है, मातुलेय प्रथा का प्रचलन है।